नई आबकारी नीति तैयार, निर्यात को किया जाएगा प्रोत्साहित

- कैबिनेट की अगली बैठक में नई नीति को मिल सकती है स्वीकृति
- दुकानों के आवंटन में लागू हो सकता है पिछले वर्ष का फार्मूला

राब्यू, जागरण● लखनऊ:आबकारी विभाग ने नई आबकारी नीति तैयार कर ली है। कैबिनेट की स्वीकृति के लिए तैयार नीति शासन को भेज दी गई है। नई नीति में शराब के निर्यात को प्रोत्साहित किए जाने की तैयारी की गई है। साथ ही राज्य में वाइन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वाइनरी स्थापित करने पर आबकारी विभाग निवेशकों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देने की भी घोषणा नई नीति में कर सकता है।

आबकारी नीति 2025-26 में आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों के आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए लाटरी व्यवस्था को लागू किया था। इसके लिए विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से 40 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का आवेदन शुल्क रखा था। पिछले वर्ष विभाग को 2400 करोड़ रुपये का राजस्व केवल आवेदन शुल्क से ही हुआ था।

इससे उत्साहित होकर आबकारी विभाग इस बार भी यह व्यवस्था लागू कर सकता है। पिछली आबकारी नीति दो वर्षों के हिसाब से तैयार की गई थी। इसलिए जो शराब व्यापारी इस वर्ष भी शराब का कारोबार जारी रखना चाहते हैं उन्हें दुकानों के आवंटन में वरीयता दी जाएगी। साथ ही जो व्यापारी नए वित्तीय वर्ष में शराब की दुकानें छोड़ना चाहते हैं उनकी दुकानों को दूसरे व्यापारियों को आवंटित किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार विभाग ने नीति में यह प्रविधान किया गया है। हालांकि शासन की स्वीकृति के बाद ही नीति पर अंतिम मोहर लगेगी।

पिछली नीति में 63 हजार करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य विभाग को दिया गया था। इसके सापेक्ष जनवरी तक आबकारी विभाग करीब 44 हजार करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र कर सका है। नई नीति में आठ प्रतिशत राजस्व का लक्ष्य बढ़ाए जाने की उम्मीद है।

MAGZTER